न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 39 / 2019
हाजर खां पुत्र फजरू जाति मेव निवासी ग्राम धीमरी तहसील पहाडी (भरतपुर)
प्रार्थी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर)
2. अलीमौहम्मद पुत्र कमरचन्द
3. मौहम्मद उमर पुत्र मलुआ जाति मेव निवासी धीमरी तहसील पहाडी

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :- श्री प्रहलाद वकील प्रार्थी

दिनांक :- 04 / 10 / 2022

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 900 / 1 / 1.54 बांके ग्राम धीमरी तहसील पहाडी में स्थित है उक्त आराजी खसरा नम्बर 900 / 1 मुझ प्रार्थी का व खसरा नम्बर 900 / 2 मेरे भाई दीनू की खातेदारी का रकबा है जो कि नक्शा में व मौके पर भी पास-पास है। लेकिन सैटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त खसरा नम्बरों के स्थान पर नये खसरा नम्बर डाल दिये है और नम्बरों के साथ प्रार्थी के नक्शे में भी परिवर्तन कर दिया है। खसरा नम्बर 900 / 1 को बदलकर खसरा नम्बर 1181 कर दिया गया है और नक्शे में खसरा नम्बर 1181 को दूसरी जगह दिखाया गया है जहां पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है। सैटलमेन्ट द्वारा बनाये गये नक्शे में प्रार्थी के कब्जे वाली आराजी की जगह खसरा नम्बर 1182 लिखाया गया है लेकिन 1182 मुझ प्रार्थी का नहीं है। सैटलमेन्ट विभाग द्वारा बनाये गये नये नक्शे में या तो प्रार्थी के नये नम्बर को बदलकर 1182 किया जावे या फिर प्रार्थी को मिले खसरा नम्बर 1181 को नक्शे के खसरा नम्बर 1182 की जगह दर्शाया जावे प्रार्थी अपनी आराजी को लम्बे अरसे से जोत बो रहा है और आराजी की चारों तरफ से मेड बनी हुई है। प्रार्थी ने तहसीलदार पहाडी से शुद्धि बाबत निवेदन किया

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

था लेकिन तहसीलदार पहाडी ने शुद्धि करने से मना कर दिया अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 900/1 तथा नम्बर 1181 को नक्शे में शुद्धि कर प्रार्थी को कब्जानुसार दुरूस्त किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार पहाडी ने दिनांक 25/10/2021 को न्यायालय मे उपस्थित होकर जबाब इस आशय की पेश किया कि सैटलमेन्ट विभाग द्वारा सैटलमेन्ट करते समय प्रार्थी को नये नक्शे में प्रार्थी के कब्जे से भिन्न दर्शाया है प्रार्थी के साविक खसरा नम्बर 900/1 को हाल खसरा नम्बर 1181 कर दिया है लेकिन प्रार्थी की कब्जे वाली आराजी की जगह पर सैटलमेन्ट विभाग ने खसरा नम्बर 1182 दर्ज कर दिया जो मौके के विपरीत हैं खसरा नम्बर 1182 की जगह प्रार्थी का खसरा नम्बर 1181 दर्ज किया जाना न्यायहित में है।

अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्ध दिनांक 22/06/2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। निर्णय से पूर्व तहसीलदार पहाड़ी से मौका की रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार पहाड़ी ने मौका पर्चा रिपोर्ट इस आशय का पेश किया कि ग्राम धीमरी के आराजी खसरा नम्बर 1181, 1182, के मौके पर पहुंचा जिसकी बिन्दुबार रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

1. मुताबिक जमाबन्दी हाल सम्वत 2075 से 2078 आराजी खसरा नम्बर 1182/0.22 किस्म बारानी प्रथम अलीमौहम्मद पुत्र करमचन्द जाति मेव हिस्सा 3/8 एवं मौहम्मद उमर पुत्र मलुआ जाति मेव हिस्सा 5/8 दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि इस पर कब्जा हाजर खां पुत्र फजरू जाति मेव का है।
2. इसी प्रकार मुताबिक जमाबन्दी हाल सम्वत 2075 से 2078 आराजी खसरा नम्बर 436/0.60 हाजर खां पुत्र फ़जरू जाति मेव दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि इस पर 0.38 है0 पर हाजर खां पुत्र फजरू जाति मेव का एवं 0.22 है0 पर अलीमौहम्मद पुत्र करमचन्द जाति मेव तथा मौहम्मद उमर पुत्र मलुआ जाति मेव का कब्जा है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र एवं में दर्ज तथ्यों को दोहराया।

हमने बहस पर मनन किया, पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब/मौका पर्चा रिपोर्ट तहसीलदार का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण नक्शा शुद्धि का है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड आराजी खसरा नम्बर 1182/0.22 अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 के नाम दर्ज है। एवं आराजी खसरा नम्बर 436/0.60 प्रार्थी हाजर खां पुत्र फजरू जाति मेव के नाम दर्ज

उप खण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

रिकॉर्ड है। यह दोनों ही खसरे साविक खसरा संख्या 900 से निर्मित हुए है। साविक खसरा संख्या 900 में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण खातेदार थे। परन्तु वर्तमान मे मौके की स्थिति रिकॉर्ड के विपरीत है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट आराजी खसरा नम्बर 1182/0.22 किस्म बारानी प्रथम अलीमौहम्मद पुत्र करमचन्द जाति मेव हिस्सा 3/8 एवं मौहम्मद उमर पुत्र मलुआ जाति मेव हिस्सा 5/8 दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि इस पर कब्जा हाजर खां पुत्र फजरू जाति मेव का है। एवं आराजी खसरा नम्बर 436/0.60 हाजर खां पुत्र फजरू जाति मेव दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि इस पर 0.38 है0 पर हाजर खां पुत्र फजरू जाति मेव का एवं 0.22 है0 पर अलीमौहम्मद पुत्र करमचन्द जाति मेव तथा मौहम्मद उमर पुत्र मलुआ जाति मेव का कब्जा है। इस प्रकार यह पूर्णतः स्पष्ट है कि वर्तमान नक्शे में बन्दोबस्त विभाग द्वारा नया नक्शा निर्मित करते समय मौके का निरीक्षण नहीं किया गया और नवीन नक्शे में दोनो खसरा नम्बरो को आपस में कब्जे के विपरीत दर्शा दिया है। इस तथ्य पर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 को कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा नक्शा तरमीम करते समय भारी भूल की है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा सं0 1182/0.22 पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम कलमजन कर प्रार्थी के नाम दर्ज किया जाता है। एवं आराजी खसरा सं0 436/0.60 पर मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट 0.22 है0 पर मुताबिक हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 तथा 0.38 है0 पर प्रार्थी का नाम दर्ज किया जाता है। रहन के इन्द्राज यथावत रहेगें। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 20.09.2022 निर्णय के साथ जुज रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 04/10/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).